



EXISTING CHAK ROAD

गंगावर्ण को दृष्टि से राज्य वन निधि अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम 200 घड़ लगाना अनिवार्य है।

विद्युत निवेश के अनुसार सुरक्षित रूप से कोट कर हो विभाजन कार्य किया जाये।

यह मानचित्र स्वीकृति से केवल पाँच वर्ष तक वैध है।

स्वातंत्र्य सम्बन्धी किसी भी विवाद की स्थिति में मानचित्र की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

मानचित्र स्वीकृत पत्र पर अंकित शर्तों के अधीन मानचित्र निर्मित किया जाता है।

"अधिकांश एवं समेकित श्रमिकों का श्रम विभाग के नियमानुसार पंजीयन कराया जाना आवश्यक है।"

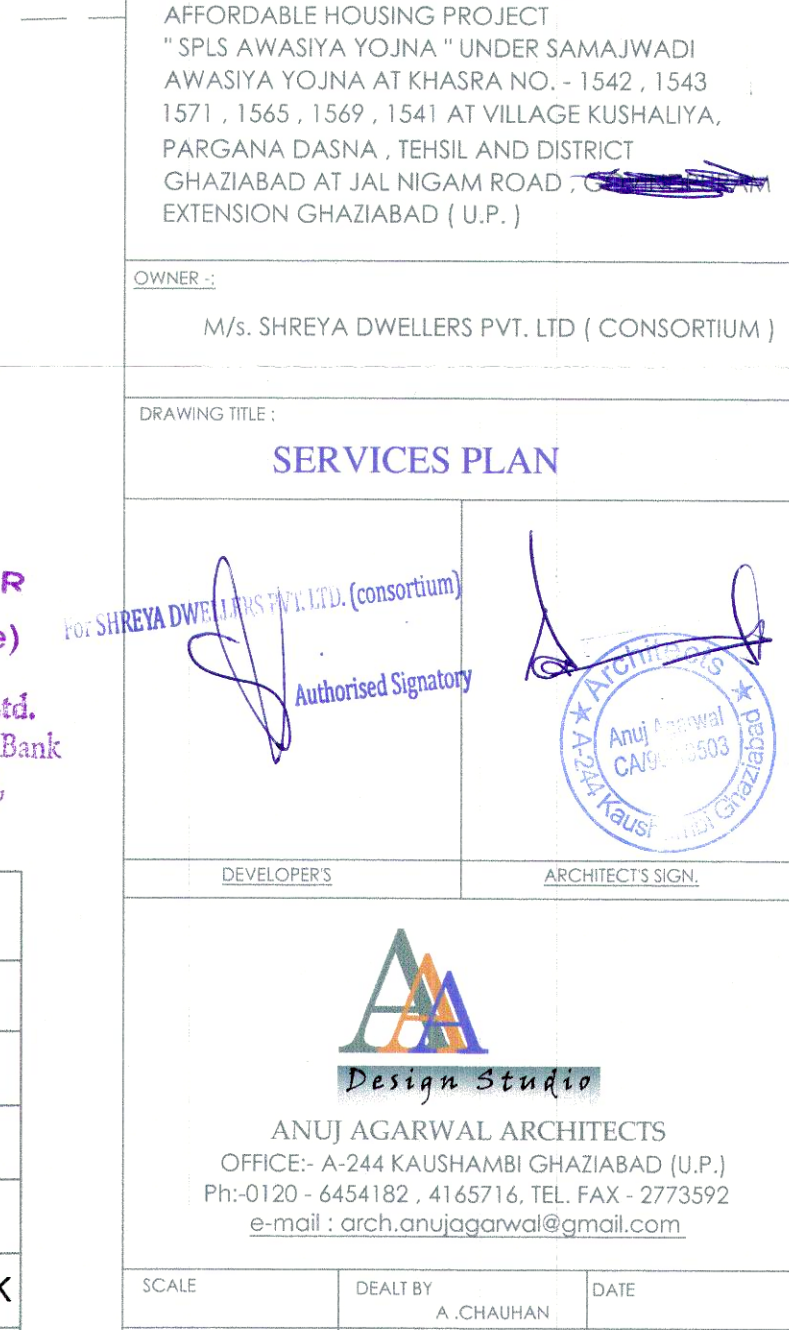
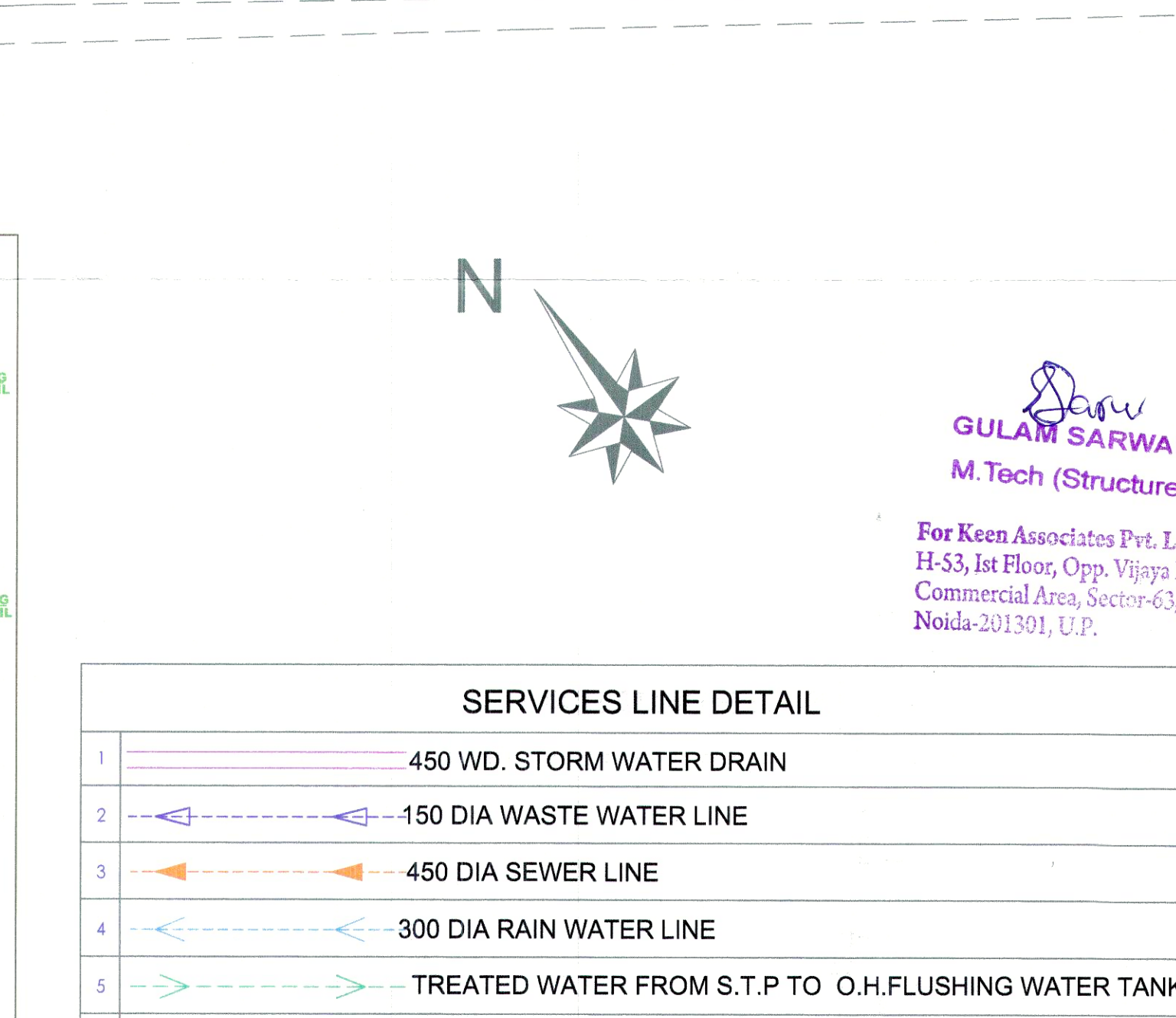
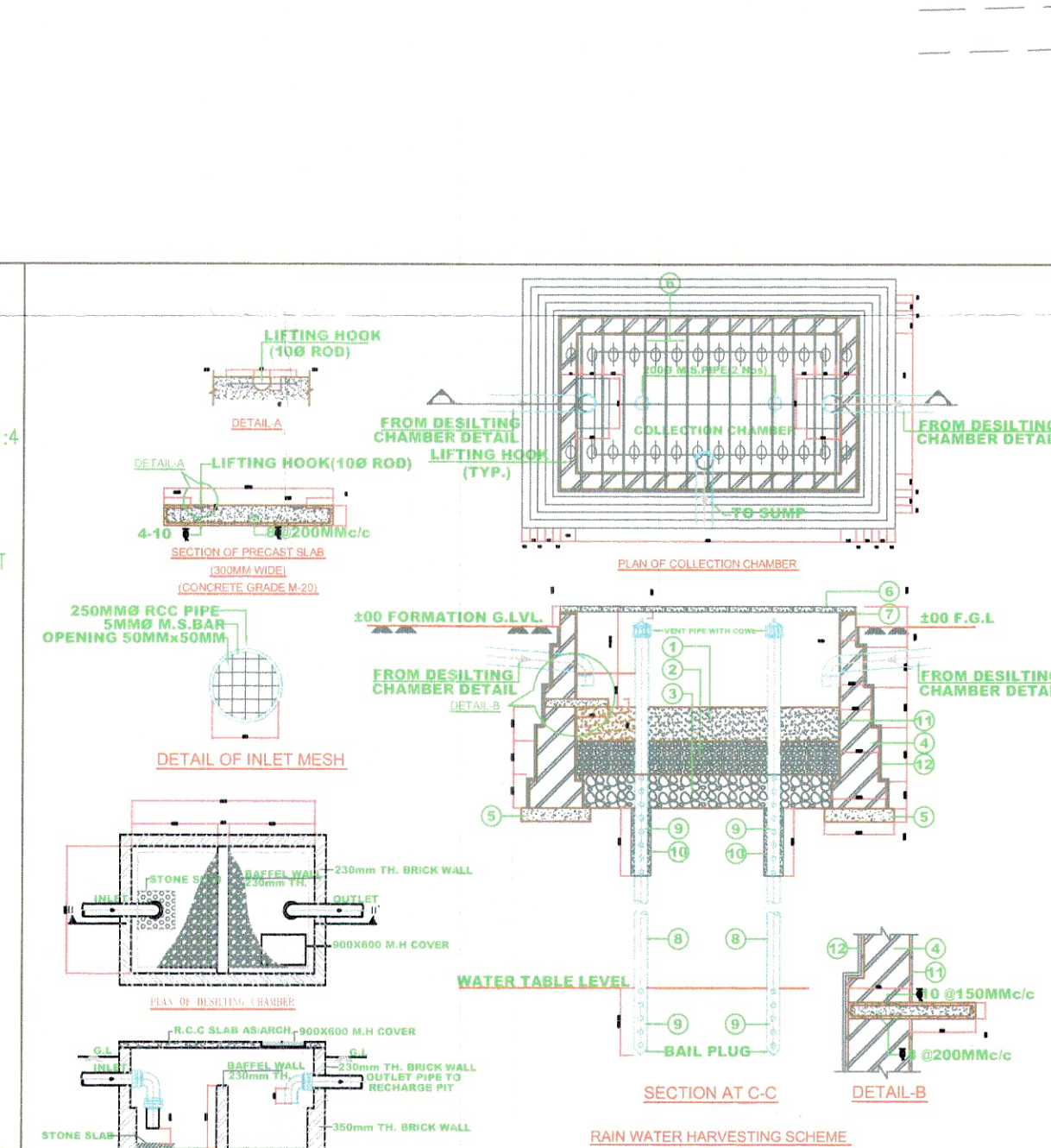
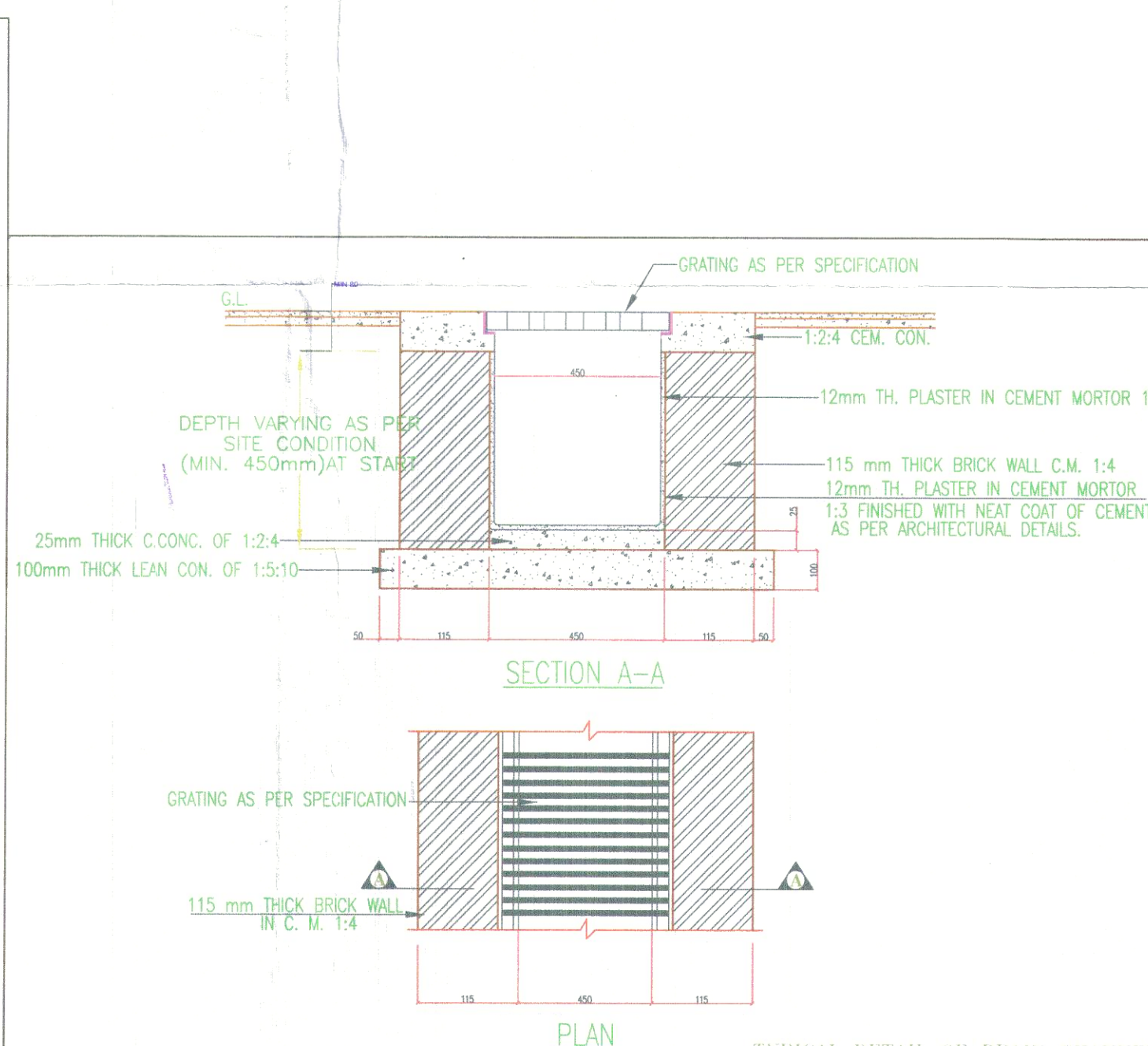
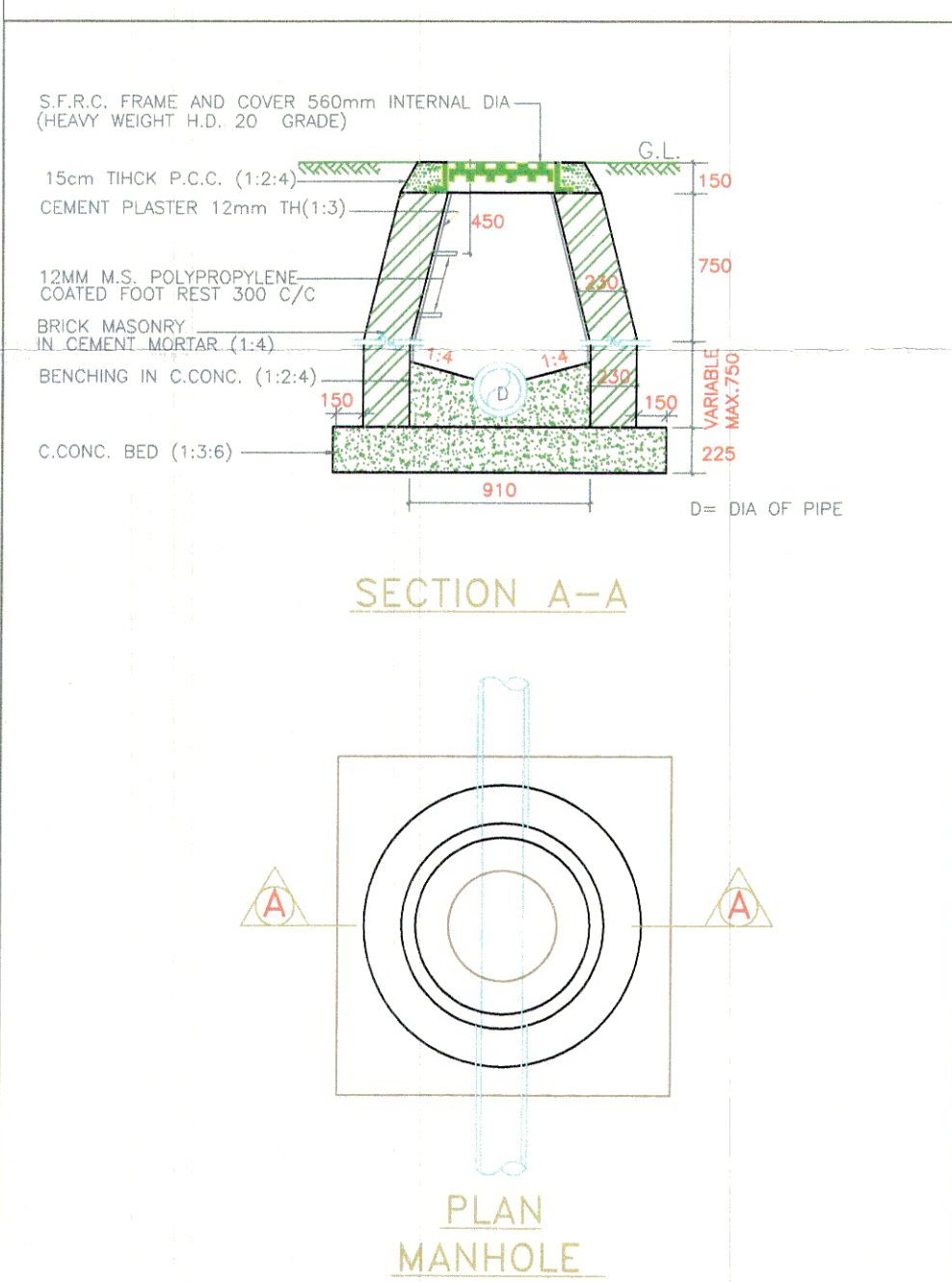
स्थल पर एक बड़े 12 स्वीकृत मानचित्र का मसूदा 1 दिन के अन्दर अतिरिक्त प्रेषण।

समस्त प्रकार के भवन / स्ट्रक्चर का सुरक्षा हेतु विभिन्न स्तरों पर समस्त दीवारों के ऊपर आरम्भिकीय टाई बोल डालना उचित / आवश्यक है। जो सीढ़ीदार लेवर सिस्टम व प्रत्येक छत के नीचे बाले जायें।

"निर्माणधीन अवधि में निर्माण स्थल पर घूम से बचने हेतु समुचित कर का प्रावधान किया जाए निर्माण कार्य के परिचालन एवं उनके उपयोग की अवधि में निर्माण समिति में पर पानी का भिन्नक एवं डबल सलेशन सिस्टम का उपयोग (अनिवार्य रूप से किया जाए निर्माण समिति को ले जाने हेतु बड़े हुए वाहनों का प्रयोग किया जाए।"

AREA IN ROAD WIDENING 53.35 sq.mt.

SERVICES PLAN



SERVICES LINE DETAIL

1	450 WD. STORM WATER DRAIN
2	150 DIA WASTE WATER LINE
3	450 DIA SEWER LINE
4	300 DIA RAIN WATER LINE
5	TREATED WATER FROM S.T.P TO O.H.FLUSHING WATER TANK
6	DOMESTIC WATER SUPPLY